कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी रामपुर।

पत्रांकः–प–8/सीएफओ–आरपीआर–पेट्रोल पम्प–रामपुर दिनाँकः जनवरी 11 ,2017

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
रामपुर।

विषयः ग्राम–मुरसैना तहसील सदर, जिला रामपुर के गाटा/संख्या–56 पर इडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट विकसित किये हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– **आपका पत्रांकः 214/जे0ए0–02 तद् दिनाँक 26.12.2016 एवं शासनादेश संख्याः 2464/छः–पु0–8–2005 दिनाँकः 09, दिसम्बर 2005।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक/संदर्भित अपने पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प की स्थापना सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रस्तावति स्थल का अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपलब्ध कराये गये मानचित्रों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

1–प्रश्नगत स्थल के सामाने रोड की चौडाई मानक के अनुसार है।

2–प्रश्नगत स्थल के ऊपर से काई भी विद्युत हाईटेंशन लाईन नही गुजर रही है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु पैट्रोलियम एक्ट–1934 तथा उसके रूल्स के अनुसार अग्नि से सुरक्षा के सम्बन्धी प्राविधान किए जाने अनिवार्य होगें जो निम्नवत हैः–

1–45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ट्राली।

2–ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिग्यूशर क्षमता 10 किग्रा के 04 अदद स्थापित कराये जाये।

3–नो स्मोकिंग बोर्ड एंव आपात कालीन टेलीफोन नम्बरों की सूची स्थापित कराया जाये।

4–05–05 अदद सैण्ड फायर बकेट एवं वाटर बकैट स्थापित कराये जाये।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के निर्माण कार्य के लिए आख्या निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती हैः–

1–प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के सभी निर्माण कार्य पैट्रोलियम एक्ट–1934 एंव सम्बन्धित पैट्रोलियम रूल्स विषयक समय–समय पर यथा संशोधित विधियों एंव सत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि में उल्लिखित विधि के अनुरूप।

2–प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार हाई/लो टेन्शन विधुत लाईन नही गुजारी जायेगी।

3–प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पैट्रोल पदार्थो के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नही किया जायेगा।

4–प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प स्थापित कराने के दौरान धूम्रपान निषेध बोर्ड, अग्निशमन केन्द्र का टेलीफोन नम्बर व अग्निशमन संकेतक अंकित कराये जायेगें।

5–डीजल भण्डारण हेतु पैट्रोल पम्प के निर्माण के उपरान्त स्थल पर चिंगारी इत्यादि उत्पन्न करने वाले पदार्थो का प्रयोग बर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किए जायेगें।

6–प्रस्तावित पैट्रोल पम्प पर विधुत सुरक्षा व्यवस्था इण्यिन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट एंव भारतीय मानक ब्यूरों के आई0एस0–1646–1982 व आई0एस0–2148 तथा सम्बन्धित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

7–प्रस्तावित पैट्रोल पम्प निर्मित किए जाने तथा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थओं की स्थापना किए जाने के उपरान्त प्रस्तावित पैट्रोल पम्प आरम्भ करने से पूर्व स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम आख्या प्राप्त करना होगी।

अतः उपरोक्त शर्तो के अधीन इडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट विकसित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी आख्या निगर्त की जाती हैं, अन्यथा की स्थिति में निर्गत की जा रही है आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

11/1/17

(रेहान अली
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
रामपुर।)

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
रामपुर